लापरवाही | गंदगी और अव्यवस्था से जूझ रहे यात्री

रखरखाव में लापरवाही से बिगड़ती जा रही बस स्टॉप की हालत

जबलपुर, नवभारत। शहर की शान मेट्रो बस जो एक सार्वजनिक परिवहन है, उनके स्टॉप्स आज खुद ही बदहाली का शिकार होते नजर आ रहे हैं। नवभारत की पड़ताल में सामने आया कि शहर के तीन पत्ती, रानीताल और गोहलपुर क्षेत्र के बस स्टॉप्स की स्थिति निम्न स्तर पर पहुँच गई है। जो प्रशासन पर सवाल खड़े करने के लिए काफ़ी है।

हालांकि तीन पत्ती मेट्रो बस स्टैंड पर अन्य स्थानों की तुलना में साफ-सफाई कुछ हद तक बेहतर दिखाई दी। यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए बनी सीटें उपयोग में हैं और आसपास की व्यवस्था भी कुछ हद तक नियंत्रण में है। लेकिन यहां भी नियमित रखरखाव और बेहतर सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही है, ताकि इसे और व्यवस्थित बनाया जा सके।

रानीताल बस स्टॉप की हालत खराब

रानीताल मेट्रो बस स्टॉप की स्थिति काफी खराब नज़र आई। यहाँ बस स्टॉप में गंदगी और सफाई की कमी बस से यात्रा करने वालो की परेशानी को और बढ़ा देती है। वही बस स्टॉप के आसपास अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण बसों को रुकने में दिक्कत भी होती है।

गोहलपुर स्टॉप की स्थिति भी अच्छी नहीं !

स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि यह बस स्टॉप ट्रैफिक सिग्नल के काफी नजदीक है, जिससे जब भी बस रुकती है या कुछ देर के लिए खड़ी होती है, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। लोगों का कहना है कि इस कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि मेट्रो बस स्टॉप्स का निर्माण तो कर दिया गया, लेकिन उनकी देखरेख और सही प्लानिंग पर ध्यान नहीं दिया गया। लोगों के अनुसार, जहां तीन पत्ती पर स्थिति थोड़ी बेहतर है, वहीं रानीताल और गोहलपुर आदि में रोजाना समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आम जनता की मांग है कि सफाई, देख-रेख और बेहतर प्रबंधन पर तुरंत ध्यान दिया जाए, ताकि राहगीरों को राहत मिल सके।

इनका कहना है

मेट्रो बसो में जीपीएस है जो चलो ऐप से चलता है जिसके माध्यम से हम बस की लोकेशन देख सकते हैं। शहर में मेट्रो बस के 40 स्टॉप है।

सचिन विश्वकर्मा
सीईओ, जेसीटीएसएल

हर पांच मिनट में मेट्रो बस चलाई जाती है। सिटी के हिसाब से जो भी सुविधाएं दी जा रही है वह ठीक है। वर्तमान में हमारे द्वारा 45 मेट्रो बस चलाई जा रही है।

विकास सोनकर
सुपरवाइजर, नगर निगम

कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं की अवैध गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक कथित पत्र को इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेल के तीन कार्यकर्ताओं की अवैध रूप से गिरफ्तारी पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने पुलिस कमिश्नर भोपाल से पूछा है कि बिना ट्रांजिट रिमांड या कानूनी प्रक्रिया का पालन किए कार्यकर्ताओं को राजस्थान पुलिस को कैसे सौंप दिया। इसके साथ ही युगलपीठ ने पुलिस कमिश्नर भोपाल, एसएसपी साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल, राजस्थान के ज्योतिनगर पुलिस थाने के एसएचओ सज्जन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। युगलपीठ ने राजस्थान पुलिस को तीनों कार्यकर्ताओं को अगली सुनवाई यानी 27 अप्रैल को पेश करने के निर्देश भी दिये है। इसके साथ ही भोपालके जहांगीराबाद स्थित पुलिस परिवहन व अनुसंधान संस्थान के 20 अप्रैल 2026 के सीसीटीवी फुटेज भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। दरअसल राजधानी भोपाल निवासी खिजर खान सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता एचएस छाबड़ा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 20 अप्रैल 2026 की सुबह लगभग तीन बजे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भोपाल में पुलिस द्वारा कांग्रेस आईटी सेल के तीन कार्यकर्ताओं निखिल, बिलाल व इनाम को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और उन्हें दो दिनों तक किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि राजस्थान पुलिस की मौखिक सूचना पर तीनों को पुलिस थाने बुलाकर पूछताछ की गई और फिर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। अगले दिन दोपहर को फिर सायबर सेल बुलाया और राजस्थान पुलिस को सौंप दिया गया। बताया गया कि हिरासत या उनकी गिरफ्तारी का कोई रिकार्ड या उन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपने से संबंधित कोई दस्तावेज उन्हें नहीं भेजा गया है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पुलिस का पूरा बयान झूठा और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को 20 अप्रैल 2026 की तड़के हिरासत में लिया गया था और उन्हें किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। यहां तक कि ट्रांजिट रिमांड के लिए भी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया। उक्त पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

संविदा व आउटसोर्सिंग कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की उस अपील पर स्थगन देने से इनकार कर दिया, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा संविदा कर्मियों के पक्ष में दिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि यह बड़े वर्ग के भविष्य से जुड़ा मसला है, इसलिए इस पर स्थगन नहीं दिया जाएगा। सरकार को सिंगल बेंच के निर्णय का पालन करने के निर्देश दिये है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की सिंगल बेंच ने 9 अप्रैल को कहा था कि 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की 7 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ दिया जाए। जिस प्रकार दैनिक वेतन भोगियों कोाें नियमित किया गया और उन्हें वेतनमान, भत्ते व वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई, वही लाभ अब संविदा कर्मियों को भी दिया जाएगा। इस निर्णय के खिलाफ सरकार ने अपील की थी। अधिवक्ता ओपी द्विवेदी ने बताया कि न्यायालय ने 9 अप्रैल को उनके मामले में दिए गए निर्णय को उचित ठहराते हुए सरकार की अपील निरस्त कर दी।

अचानक बढ़ गया एक्टिवा का एक्सीलेटर, तालाब में गिरी शिक्षिका

जबलपुर। हनुमानताल तालाब में बुधवार को पूजा सामग्री विसर्जित करने आईं एक महिला शिक्षिका अनियंत्रित होकर अपनी स्कूटी समेत गहरे तालाब में जा गिरीं। दरअसल अचानक एक्टिवा का एक्सीलेटर बढ़ गया था। घाट पर मौजूद लोग चीख पुकार मचाने लगे, तभी तैनात पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगा दी और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अमखेरा निवासी सुनीता सिंह शिक्षिका हैं। वे बुधवार को अपनी एक्टिवा से पूजा सामग्री विसर्जित करने के लिए हनुमानताल तालाब पहुंची थीं। बताया जा रहा है कि जब वे घाट के समीप थीं, तभी अचानक उनकी एक्टिवा का एक्सीलेटर बढ़ गया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि शिक्षिका उस पर नियंत्रण नहीं रख पाईं और देखते ही देखते गाड़ी सीधे तालाब के गहरे पानी में चली गई। महिला को पानी में डूबता देख मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों ने जैसे ही यह मंजर देखा, वे बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़े। दोनों पुलिसकर्मियों ने पानी के भीतर कड़ी मशक्कत की और डूब रही शिक्षिका को पकड़कर किनारे तक लाए। समय रहते मदद मिलने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया और शिक्षिका की जान बच गई। तालाब से बाहर निकालने के बाद वे काफी घबराई हुई थीं, जिन्हें तत्काल पुलिसकर्मियों ने प्राथमिक उपचार दिलाया। सुरक्षित बचने के बाद शिक्षिका और उनके परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया है।

खोदी गई कब्र, निकाली लाश, हत्या की आशंका, छानबीन में जुटी पुलिस

जबलपुर । अधारताल थाना अंतर्गत महाराजपुर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए युवक की लाश मदनमहल थाना अंतर्गत स्नेह नगर में मिली पुलिस ने मर्ग कायम किया इसके बाद शिनाख्त न होने पर शव को चौहानी मुक्तिधाम में दफना दिया गया। मंगलवार को मृतक की पहचान हुई जिसके बाद बुधवार दोपहर 3 बजे पुलिस ने मुक्तिधाम पहुंचकर कब्र खुदवाई और शव को बाहर निकाला गया। शाम करीब 5 बजे तक शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में हत्या की भी आशंका है। फिलहाल पुलिस हर एंगल पर छानबीन कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

18 अप्रैल से लापता, 19 को गुमशुदगी, 20 को दफनाया शव

पुलिस के मुताबिक दीपक सिंह पिता लाल सिंह 40 वर्ष निवासी महाराजपुर, अधारताल का ऑटो चलाता था । 18 अप्रैल को ऑटो लेकर घर से निकला और वापिस नहीं लौटा। पहले तो परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की लेकिन जब उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने अधारताल थाने में 19 अप्रैल को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दोपहर दो बजे मदनमहल थाना अंतर्गत स्नेह नगर में एक शव मिला। पुलिस ने मर्ग कायम कर शिनाख्त न होने पर 20 अप्रैल को को शव को चौहानी मुक्तिधाम में दफना दिया। 21 अप्रैल को शिनाख्त हुई। इसके बाद 22 अप्रैल को शव को कब्र खोदकर निकाला गया। बुधवार शाम शव परिजनों को सौंप दिया गया। जिसके बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया ।

घमापुर में ऑटो, मदनमहल में शव, घूमी शक की सुई

दिलीप सिंह ने बताया कि मेरा भाई 18 अप्रैल से घर से रात को सुबह नौ बजे निकला था जो घर नहीं लौटा। 19 अप्रैल को भी घर नहीं आया तो हम लोगों ने अधारताल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 20 अप्रैल को भाई का ऑटो घमापुर में पांडे अस्पताल, पानी की टंकी के पास मिला और भाई का शव स्नेह नगर में पुलिस को लावारिश हालात में मिला यहां से उन्हें विक्टोरिया ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था जब मैं कंट्रोल रूम में कैमरा को चैक कर रहा था तभी खबर मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली फोटो दिखाई गई तो मैंने पुष्टि की लेकिन इसके प हले ही 20 अप्रैल को शव को दफना दिया गया था। वहीं घमापुर में ऑटो मिलना और स्नेह नगर में शव मिलने पर मामले में शक की सुई घूम गई है हालांकि पुलिस हर एंगल पर तफ्तीश कर रही है।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

मदनमहल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा जिसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। ऑटो दूसरे क्षेत्र में और शव मदनमहल में पड़ा मिला था। जिसको लेकर भी जांच चल रही है सीसीटीव्ही कैमरों को भी खंगाला जा रहा है।

हिट एंड रन : कार ने रौंदा, दो की मौत, नशे में धुत मिला तांडव मचाने वाला चालक

धनवंतरी नगर तिराहे पर रफ्तार का कहर

जबलपुर। गढ़ा थाना अंतर्गत धनवंतरी नगर तिराहे पर बीती रात शराब के नशे में धुत एक सफेद रंग की बेकाबू किया कार के चालक ने रफ्तार का तांड़व मचाया। सड़क किनारे खड़े लोगों और वाहनों को कुचला । इस दर्दनाक हादसे में एक किशोर के सिर से पिता का साया उठ गया, वहीं एक अन्य युवक की भी जान चली गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार अधारताल महाराजपुर निवासी 10वीं का छात्र शुभम कुम्हार (16) अपने पिता गणेश प्रसाद (45) के साथ बुआ की शादी से स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एसजेड 9516 से बीती रात लौट रहा था। प्यास लगने पर पिता-पुत्र धनवंतरी नगर तिराहे पर स्कूटी खड़ी कर पानी पीने लगे। इसी

बीच मौत बनकर आई तेज रफ्तार किया कार एमपी 20 जेड बी 2934) ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

इधर कारों में भिड़ंत, एक घायल

मदनमहल थाना अंतर्गत शिवाजी चौक पर गेट नंबर 4 की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने सड़क पार कर रही हुंडई कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में हुंडई कार सवार युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सेठीनगर, गुप्तेश्वर निवासी 23 वर्षीय शिवम जायसवाल एक निजी दवा दुकान में कार्यरत हैं। बीती रात करीब 11:30 बजे वह अपनी हुंडई कार क्रमांक एमपी 20 एक्स बी 9107 से मदनमहल के आमोदा क्षेत्र में अपने मामा से मिलने गए थे। मुलाकात के बाद, रात करीब 1:45 बजे जब वह होम साइंस कॉलेज रोड से होते हुए शिवाजी चौक पार कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गेट नंबर 4 की तरफ से आ रही सफेद रंग की टाटा पंच कार क्रमांक एमपी 15 जीएम 4869 का चालक वाहन को अत्यंत लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। शिवाजी चौक पर टाटा पंच ने शिवम की कार के बाईं ओर जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार अनियंत्रित होकर गार्डन के सामने जा रुकी। टक्कर इतनी तेज थी कि शिवम के दोनों घुटनों में गंभीर चोटें आई हैं।

नशे धुत चालक की धुनाई

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वहां मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश कर रहे कार चालक किशन चौधरी निवासी रांझी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपी नशे में इस कदर धुत था कि उसे होश तक नहीं था। गुस्से में आए लोगों ने आरोपी की धुनाई की इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। चालक को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है।

बिना ब्रेक, बिना हॉर्न, सीधे भीड़ में घुसी कार

घायल शुभम ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी घातक थी कि चालक किशन चौधरी ने सड़क किनारे भीड़ देखने के बावजूद न रफ्तार कम की और न ही ब्रेक लगाए। कार स्कूटी और वहां खड़े लोगों को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसे में शुभम के पिता गणेश प्रसाद और गंजीपुरा निवासी पंकज साहू (34) को गंभीर चोटें आईं, जिन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कार की टक्कर से कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं।

बिना अनुमति हो रहा था पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का उत्पादन

एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई का लाइसेंस निलंबित

नवभारत, जबलपुर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के अवैध कारोबार पर रोक लगाने कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार विजयनगर स्थित एक पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिना उचित अनुमति के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन करने वाले इस प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बुधवार को एसबीआई कॉलोनी, उखरी रोड, विजयनगर स्थित एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रतिष्ठान में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का उत्पादन बिना अनुमति के किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के पास खाद्य पंजीयन तो है, लेकिन यह

खाद्य पदार्थों के विक्रय प्रतिष्ठान के प्रकार का है। इस पंजीयन से खाद्य या पेय पदार्थों के निर्माण की अनुमति नहीं है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक भारत सरकार के 17 सितम्बर 2025 के आदेश के तहत पैकेटबंद पेयजल और मिनरल वाटर का निर्धारित प्रक्रिया से परीक्षण कराना अनिवार्य है, जिसका अनुपालन भी प्लांट संचालक द्वारा नहीं किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं पंजीयन प्राधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत उपयुक्त अनुमति के अभाव तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने पर एक्वा ब्लू वाटर सप्लाई प्लांट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान से खाद्य कारोबार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

भूमि विवाद में सैनी परिवार पर लगे कब्जा, धमकी और दुष्प्रचार के आरोप

सिंह परिवार ने प्रशासन से की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग

नवभारत, जबलपुर। शोमापुर-गोकलपुर वार्ड स्थित खसरा नंबर 391/12/झ एवं संबंधित भूमि को लेकर सिंह परिवार ने प्रेसवार्ता आयोजित कर सैनी परिवार पर अवैध कब्जा, धमकी और दुष्प्रचार के गंभीर आरोप लगाए। श्वेता सिंह ने बताया कि यह भूमि वर्षों पुरानी वैधानिक आवासीय संपत्ति है, जहां अनेक परिवार निवासरत हैं। प्रेसवार्ता में शोमना सिंह, नरेन्द्र सिंह, श्वेता सिंह, रमेश सिंह, महेश सिंह और रागिनी सिंह ने आरोप लगाया कि एडवोकेट आर.के. सैनी, राकेश सैनी, रोहित

सैनी, सुभाष सैनी एवं उनके सहयोगी बिना अनुमति निर्माण कर उनकी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है और झूठी शिकायतों के माध्यम से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

सिंह परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में उनके कार्यालय में तोड़फोड़ करवाई गई थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। उनका कहना है कि सैनी परिवार द्वारा विभिन्न मंचों पर दायर याचिकाएं भी निरस्त हो चुकी हैं। परिवार ने प्रशासन और पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

उर्पाजन | अभी तक 13 हजार किसानों ने किए स्लॉट बुक

516 किसानों ने हुई 18 हजार क्विंटल खरीदी

नवभारत, जबलपुर। जिले समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिसमें अभी तक लगभग 18 हजार क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक सीमा बौरसिया ने बताया कि जिले में अभी तक 516 किसानों से 18 हजार 162 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, जबकि 13 हजार 57 किसानों द्वारा गेहूं का विक्रय करने स्लॉट बुक किये जा चुके हैं। यह कुल पंजीकृत किसानों का 25.70 फीसदी है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशन में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में अभी 60 खरीदी केंद्रों पर गेहूं उपार्जन का कार्य चल रहा है।

50 हजार 788 किसानों ने कराया पंजीयन

प्रभारी जिला आपूर्ति नियंत्रक के मुताबिक जिले में गेहूं उपार्जन के लिये 50 हजार 788 किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया है। उपार्जन के प्रारंभिक चरण में 2 हेक्टेयर और उससे कम कृषि भूमि धारित करने वाले किसानों के ही स्लॉट बुक करने का प्रावधान किया गया है। जल्दी ही मध्यम और बड़े किसानों के स्लॉट बुकिंग प्रारंभ कर दी जायेगी।

नोडल अधिकारी खरीदी केन्द्रों पर रखेंगे नजर

जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने जिले में स्थापित किये गये खरीदी केन्द्रों की निगरानी के लिये नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है। नोडल अधिकारी खरीदी केन्द्रों की प्रतिदिन उपस्थित होकर न केवल उपार्जन की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेंगे और उपार्जन से संबंधित कठिनाईयों का निराकरण करने, बल्कि किसानों की सुविधाओं का ध्यान भी रखेंगे। कलेक्टर ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश जारी करने के साथ ही विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये हैं।

अवैध भंडारण की सूचना देने वालों को मिलेगा 21 हजार का इनाम

जिला प्रशासन ने समर्थन मूल?य पर गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया से बिचौलियों और व्यापारियों को दूर रखने तथा वास्तविक किसानों से ही खरीदी सुनिश्चित करने के लिये गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देने वाले व्यक्तियों को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है यदि कोई व्यक्ति 100 क्विंटल से 200 क्विंटल तक गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देता है, तो उसे 5 हजार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, 200 क्विंटल से 500 क्विंटल तक के अवैध भंडारण की सूचना देने पर 11 हजार रूपये तथा 500 क्विंटल से अधिक गेहूँ के अवैध संग्रहण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 21 हजार रूपये का नकद पुरस्कार दिया जायेगा। प्रशासन ने स्?पष्?ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूर्णत: गोपनीय रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने गेहूँ के अवैध भंडारण की सूचना देने के लिए मोबाईल नंबर 62691 13327 जारी किया है। कलेक्टर जबलपुर के इस सीयूजी मोबाइल नम्बर पर व्हाट्सअप के जरिये भी बिचौलियों की जानकारी, फोटोग्राफ और वीडियो प्रदान किये जा सकेंगे।